दिनांक 21.06.2026
प्रेस विज्ञप्ति 337 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

12 वें "अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस" के अवसर पर पुलिस मुख्यालय में योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन

आज दिनॉकः 21.06.2026 को **12 वें "अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस"** के अवसर पर प्रातः 06.00 बजे पुलिस मुख्यालय गोमतीनगर के प्रांगण में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष की थीम **" Yoga for healthy ageing"** रखा गया है।

इस अवसर पर **श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0,** पुलिस महानिदेशक ईओडबल्यू, पुलिस महानिदेशक फायर सर्विस, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था, अपर पुलिस महानिदेशक लॉजिस्टिक, अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण निदेशालय, अपर पुलिस महानिदेशक पीएचक्यू, अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन, पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस महानिदेशक के जीएसओ, सहित मुख्यालय के विभिन्न इकाईयों में नियुक्त पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

योगाभ्यास के दौरान सर्वश्रेष्ठ योगा एवं प्राणायाम प्रदर्शन करने वाले 1.श्री जयनारायण सिंह पुलिस महानिदेशक ईओडबल्यू, 2.श्री प्रताप गोपेन्द्र पुलिस उपमहानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय, 3.श्री विशाल यादव अपर पुलिस अधीक्षक लाजिस्टिक, 4.श्री कृपा शंकर अपर पुलिस अधीक्षक कानून व्यवस्था, 5.श्री कमल सिंह एसआईएम रूल्स एण्ड मैनुअल्स, को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा विशिष्ट प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया गया।

इस अवसर पर उपस्थित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को योग के शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक लाभों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। उन्हें अवगत कराया कि नियमित योगाभ्यास शरीर को स्वस्थ एवं सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ तनाव प्रबंधन, मानसिक एकाग्रता, आत्मानुशासन तथा कार्यक्षमता में वृद्धि करने का प्रभावी माध्यम है।

दिनांक 21.06.2026
प्रेस विज्ञप्ति 338/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टी0एफ0–अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाला वांछित/सक्रिय व रु0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी आगरा से गिरफ्तार।

दिनाकः 20–06–2026 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को पुलिस कमिश्नरेट, आगरा के थाना जैतपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 113/20 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट में वांछित रु0 50,000/– के पुरस्कार घोषित अभियुक्त मोनू भदौरिया उर्फ मुनेन्द्र को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

मोनू भदौरिया उर्फ मुनेन्द्र पुत्र मुनेश्वर सिंह निवासी कोरथ डाण्डा, थाना जैतपुर, जनपद आगरा।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय

दिनांक–20–06–2026 समय–19.10 बजे कमतरी यमुना पुल के ऊपर फिरोजाबाद बार्डर, थाना क्षेत्र जैतपुर, कमिश्नरेट आगरा।

एसटीएफ उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधो में लिप्त होने की सूचनाएं प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ की विभिन्न इकाईयो/टीमो को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री राकेश, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई आगरा के पर्यवेक्षण में एसटीएफ फील्ड इकाई, आगरा द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में उ0नि0 रजनीश चौधरी, मु0आ0 अंकित गुप्ता, मु0आ0 बल्देव सिंह, आरक्षी प्रदीप कुमार, आरक्षी हरपाल सिंह, आरक्षी मानवेन्द्र व आ0चालक महेश रावत मय सरकारी वाहन के जनपद आगरा में भ्रमणशील थे, उसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि थाना जैतपुर, कमिश्नरेट आगरा से वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी मोनू भदौरिया उर्फ मुनेन्द्र थाना जैतपुर

क्षेत्रान्तर्गत कमतरी यमुना पुल के ऊपर फिरोजाबाद बार्डर पर कही जाने की फिराक में खड़ा है, अगर जल्दी की जाये तो पकड़ा जा सकता है। उक्त सूचना को थाना जैतपुर पुलिस से साझा करते हुए मुखबिर के साथ लेकर बताये हुए स्थान पर पहुँच कर वांछित/ईनामी अभियुक्त मोनू भदौरिया उर्फ मुनेन्द्र को मुखबिर की निशादेही पर गिरफ्तार कर लिया गया।

अभियुक्त मोनू भदौरिया उर्फ मुनेन्द्र ने पूछताछ करने पर बताया कि उस पर वर्ष–2020 में थाना जैतपुर में 113/20 धारा 8/80 एन0डी0पी0एस0 एक्ट लिखा गया था। उसके द्वारा दिनांक 24/25–12–2020 को बन्द डिब्बे वाली गाड़ी से भुवनेश्वर से गांजा लेकर अपने साथी संतोष यादव, जो कि दिल्ली में रहता था व मूल निवासी बिहार का था, के साथ दिल्ली के लिए निकला था तभी रास्ते में थाना जैतपुर पुलिस ने इनकी गाड़ी चैकिंग हेतु रूकवाई इसी दौरान वह गाड़ी से उतर कर फरार हो गया तथा गाड़ी से उसके साथी संतोष को गाँजे सहित गिरफ्तार कर लिया गया। मोनू भदौरिया फरारी के दौरान लगातार पुलिस से बचकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा में रहकर ट्रक चालक का काम कर रहा था।

अभियुक्त मोनू भदौरिया उर्फ मुनेन्द्र उपरोक्त को थाना जैतपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 113/20 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट में दाखिल किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

आपराधिक इतिहासः–

1– मु0अ0सं0 113/20 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, थाना जैतपुर, आगरा।

2– मु0अ0सं0 95/21 धारा 174ए भादंवि थाना जैतपुर, आगरा।

जनपद कौशाम्बी/थाना मंझनपुर

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 21.06.2026 को थाना मंझनपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हाजीपुर पतौना रोड इंलियास प्लाटिंग के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त राहुल कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना मंझनपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मंझनपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राहुल कुमार निवासी ग्राम छित्तूपुर थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस।

जनपद बरेली/थाना बहेड़ी

- **घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये पीली धातु के आभूषण**
- **03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 20/21.06.2026 को थाना बहेड़ी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पचपेडा चौराहे के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–विकास 2–सौरभ घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 3–ललित 4–सचिन सहित गिरफ्तार कर घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूटे गये पीली धातु के आभूषण, 03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 18.06.2026 को थाना बहेड़ी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा डकैती की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बहेड़ी

पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बहेड़ी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विकास निवासी ग्राम पडरी थाना नवाबगंज जनपद बरेली।

2–सौरभ निवासी ग्राम पडरी थाना नवाबगंज जनपद बरेली।

3–ललित निवासी ग्राम पडरी थाना नवाबगंज जनपद बरेली।

4–सचिन निवासी ग्राम पडरी थाना नवाबगंज जनपद बरेली।

बरामदगी

1–लूटे गये पीली धातु के आभूषण।

2–03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि।

जनपद रामपुर/थाना मिलक

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 94 हजार रूपये नगद**
- **चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 21.06.2026 को थाना मिलक पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तों 1–रिहान उर्फ छोटू 2–मो0शानू 3–सुल्तान उर्फ मुस्तफा को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 94 हजार रूपये नगद, चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण, 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना मिलक क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मिलक पर अभियोग पंजीकृत कर घटना

के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये, आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना मिलक पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–रिहान उर्फ छोटू निवासी ग्राम कांकर सराय थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा।

2–मो0शानू निवासी रतुपुरा थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद।

3–सुल्तान उर्फ मुस्तफा निवासी ग्राम ढकिया पीरू थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी के 94 हजार रूपये नगद।

2–चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण।

3–02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

———————